### उच्च न्यायालय में त्वरित निपट रहे मामले, बेहतर होता जा रहा लंबित केसों का प्रतिशत, इस वर्ष सेवानिवृत्त होंगे 7 जज

# न्यायमूर्ति बढ़े, फटाफट मिल रहा इंसाफ

**धनंजय श्रीवास्तव**

**जबलपुर, नवभारत।** मप्र उच्च न्यायालय में पेंडिंग केसों की संख्या घटना शुरू हो गई है। कारण जजों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से वर्तमान में केवल 11 खाली हैं। मालूम हो कि 19 मई 2025 को जजों के 22 पद खाली थे। पेंडिंग केसों की संख्या सबसे तेजी से ग्वालियर बेंच में कम हो रही है। मप्र उच्च न्यायालय में अब बदलाव नजर आना शुरू हो गया है। उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार एक ही वर्ष में 15 नए जजों की नियुक्ति का सीधा असर न्यायिक कार्यक्षमता पर पड़ा है। जिसके चलते उच्च न्यायालय का क्लियरेंस रेट लगभग 5 फीसदी से बढकर 90 प्रतिशत तक पहुंच गया है। स्वीकृत 53 पदों में से 42 पर जज अभी कार्यरत हैं इन नियुक्तियों के बाद न केवल रोजमर्रा के मामलों का निपटारा तेज हुआ, बल्कि पुराने लंबित प्रकरणों के निराकरण में भी तेज़ी आई है। मप्र उच्च न्यायालय में वर्षों से बढ़ती पेंडेंसी न्याय व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती रही है। जजों की कमी को इसकी प्रमुख वजह माना जाता था लेकिन अब विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पूरे वर्ष 42 जज कार्यरत रहते हैं तो 2026 में मामलों के निराकरण की दर और बेहतर हो सकती है।

#### फैक्ट फाइल

**नोट - दिए गए आंकड़े अनुमानित है**

**लंबित**
- कुल लंबित मामले 4,80,600 ( जनवरी 1 तक )
- 10 वर्ष से लंबित 3,30,000
- 11-25 वर्ष पुराने 1,46,900
- 25 वर्षों से ज्यादा 3,400

**पिछले तीन वर्षों के बदलाव**
- 2023-89 फीसदी
- 2024-88 फीसदी
- 2025-92 फीसदी

**जज जो इस वर्ष होंगे रिटायर**
- जस्टिस अनिल वर्मा 15 मार्च
- जस्टिस हिरदेश 27 मई
- जस्टिस बीके द्विवेदी 14 जून
- जस्टिस विजय कुमार शुक्ला 27 जून
- जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह 17 सितंबर
- जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल 8 नवंबर
- चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा 25 दिसंबर

#### ऐसे समझे गणित

उच्च न्यायालय में होते केसों के निपटारे को ऐसे समझे की जनवरी 2026 के शुरू होने तक उच्च न्यायालय की मुख्य व दोनों खंडपीठों में कुल 4 लाख 80 हजार 600 मामले लंबित थे। वही पिछले वर्ष जुलाई से दिसंबर के बीच 11 नए जजों के कार्यभार संभालने के बाद 91 हजार नए मामले दायर हुए, जबकि 94 हजार मामलों का निराकरण किया गया। आसान भाषा में समझे तो इस अवधि में क्लियरेंस रेट 103 प्रतिशत रही, जो यह दर्शाती है कि निपटाए गए मामलों की संख्या नए मामलों से अधिक रही। यह दर वर्ष 2025 की औसत क्लियरेंस रेट से करीब 11 फीसदी ज्यादा है।

#### एक चुनौती ये भी

मप्र उच्च न्यायालय के मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा सहित कुल 7 जज इस साल रिटायर होंगे। अभी उच्च न्यायालय में कुल पदों की संख्या 53 है, जिसमें अभी 42 जज पदस्थ हैं। यदि नए जजों की नियुक्तियां न हुई तो इस साल उच्च न्यायालय में सिर्फ 35 जज ही बचेंगे। जो मप्र उच्च न्यायालय में शानदार चली आ रही क्लियरिंग रेट पर भी असर दिखा सकती है।

#### जारी है सराहनीय पहल

मप्र उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के लिए एक समान प्रकरणों की सामूहिक सुनवाई, पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों के लिए फाइव प्लस जीरो योजना, नियमित व विशेष लोक अदालतें, मीडिएशन जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं। फिर भी मामलों की संख्या हर साल बढ़ती है, लेकिन इन प्रयासों से निराकरण की गति में सुधार दिखने को मिलते है।

#### इनका कहना है

मप्र उच्च न्यायालय में केसों की पेंडेंसी में कमी तो आ रही है। रिक्त पड़े पदों को भी शीघ्र भरना चाहिए जिससे यह रेट और बेहतर होगा।

**अधिवक्ता डी के जैन**
अध्यक्ष, मप्र उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ

## नर्सिंग कॉलेज भर्ती में शामिल किये जायेंगे पुरूष

**जबलपुर।** मप्र हाईकोर्ट में प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य पदों पर महिलाओं को सौ प्रतिशत आरक्षण दिये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पुरुष उम्मीदवारों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, परंतु लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुए है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने शासन के निर्णय का लिखित आदेश पेश करने के निर्देश जारी करते हुए याचिका पर 7 जनवरी सुनवाई निर्धारित की गयी है। जबलपुर निवासी नौशाद अली की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ग्रुप-1 सब ग्रुप-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के विज्ञापन में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर सहित ट्यूटर के कुल 286 पदों पर महिला उम्मीदवारों को सौ प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

## रैन बसेरा रिसोर्ट पर लगाया ताला, भवन किया सील

**नियमों को तोड़ने पर गिरी गाज**
**नगर निगम-जिला प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही**
**निरीक्षण के दौरान पाई गईं थीं कई खामियां**

**नवभारत,जबलपुर।** नियमों की अनदेखी करने वाले गौर नदी के पास स्थित रैन बसेरा रिसोर्ट में मंगलवार को ताला लगा गया दिया है और भवन को सील कर दिया गया है। रिसोर्ट पर ताला लगाते हुए सीलबंद करने की कार्यवाही नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई। पूरी कार्यवाही कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशन में हुई। इस संबंध में नगर निगम के अपर आयुक्त अरविंद शाह ने बताया कि प्रशासनिक टीम जब निरीक्षण के लिए पहुँची, तो रिसोर्ट परिसर में सुरक्षा मानकों और स्वच्छता की गंभीर कमियाँ उजागर हुईं। सहायक अग्निशमन अधिकारी नीलेश पाटीदार ने पाया कि भवन में अग्नि सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे और संचालक फायर एन.ओ.सी. प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। वहीं पर्यावरण को नुकसान रिसोर्ट का दूषित पानी सीधे गौर नदी में बहाया जा रहा था। मौके पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं पाया गया, जो पर्यावरण नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पाया कि फ्रिज में रखी खाद्य सामग्री अत्यंत दूषित थी और किचन में साफ-सफाई का स्तर बेहद खराब था।

#### भवन स्वीकृति के नहीं थे दस्तावेज

निरीक्षण में यह भी सामने आया कि नगर निगम के रिकॉर्ड में भवन का क्षेत्रफल कम दर्ज है, जबकि मौके पर निर्माण कहीं अधिक पाया गया। इसके अलावा, भवन स्वीकृति के दस्तावेज भी मौके पर नहीं मिले।जिससे नगर निगम को राजस्व की हानि हुई।

## बैंक अधिकारी ने रिटायर एसआई को लगाया 40 लाख का चूना

**बीमा व अन्य योजनाओं का झांसा देकर किया गड़बड़झाला, फर्जी रसीदें थमाई, एफआईआर दर्ज**

**नवभारत, जबलपुर।** बैंक अधिकारी ने सेवानिवृत्त उप निरीक्षक को पेंशन मद की राशि से बीमा कराने के साथ अन्य योजनाओं का झांसा देकर गड़बड़झाला किया। साथ ही अमानत में ख्यानत करते हुए 40 लाख रूपए की रकम लेकर हड़प ली और फर्जी रसीदें थमा दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक रामसुमिरन यादव पिता स्व. गलाउ प्रसाद यादव 64 वर्ष निवासी अमखेरा सुशीला परिसर गली नंबर 7 गोहलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे पुलिस विभाग से उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत है। गौरव आनंद एक अन्य व्यक्ति के साथ मार्च 2024 में पुलिस लाइन स्थित शासकीय क्वार्टर सिविल लाइन्स पर आए और पत्नी श्रीमती कमला यादव से मिले। गोरव ने स्वयं को केनरा एचएसबीसी बैंक, सिविल लाइन्स का अधिकारी बताया। जिन्होंने केनरा बैंक में पेंशन मद से प्राप्त राशि को बीमा कराने जमा करने का आश्वासन दिया। पत्नी ने सूचित किया कि उक्त अधिकारी ने केनरा बैंक, सिविल लाइन्स बुलाया तो वे सेवानिवृत्त सुरज उपाध्याय के साथ मार्च 2024 में बैंक पहुँचा जहां गौरव आनंद कार्यरत मिला जिन्हें मना कर दिया। मार्च 2024 को गौरव आनंद पुन: हमारे निवास पर आए। उन्होंने पुन: बीमा कराने को कहा और अपना- पहचान पत्र (बिना फोटो के) जिसमें नाम और पद अंकित था, हमें दिया। और अपना नाम गौरव आनंद बताया था। गौरव आनंद नें हमे हमें विश्वास दिलाया कि बीमा योजना में कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 5 वर्ष की बीमा योजना की प्रथम किस्त 1,25,000 होगी। इसके बाद चार ओर किश्तें इसी राशि की जमा करने पर 7 वर्षों बाद 12,50,000 प्राप्त होंगे। जिस पर बीमा कराने उसने सहमति दी और 1,25,000 का चेक भारतीय स्टेट बैंक, रांझी शाखा का गौरव आनंद को दिया। उन्होंने राशि केनरा बैंक में जमा करने का आश्वासन दिया, परंतु राशि जमा न कर अपने निजी उपयोग में लगा दी और हमें फर्जी बांड रसीद प्रदान की। इसके पश्चात गौरव आनंद द्वारा बताया गया कि आपकी पालिसि रिजेक्ट हो गई है फिर पुन: 1,25,000 का चेक बीमा गौरव आनंद को दिया गया। उन्होंने इसे भरकर उपयोग किया। गौरव आनंद ने अपनी तरफ से 8,75,000 की बीमा करा दी है। यह जानकारी मुझे दी गई थी बीमा की पलिसी की बांड रसीद एवं 1,25,000 की पावती रसीद घर पर दी गई। गौरव आनंद ने कहा कि आधार कार्ड से पता न मिलने के कारण रसीद व बांड बैंक में बुलाकर स्वयं सौंपेंगे। वे अक्सर घर आकर केनरा बैंक से विभिन्न मदों में लाभ दिलाने का झांसा देकर चेक प्राप्त करते रहे और राशि का उपयोग स्वयं करते रहे। प्राप्त राशि के बदले विभिन्न मदों की रसीदें दी गईं। इस प्रकार बीमा व अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर 40 लाख रूपए की धोखाधड़ी कर चुका है। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

## 120 किमी की गति से सीआरएस ने किया ट्रायल रन

**जबलपुर।** रेलवे नई परियोजनाओं के अंर्तगत अधोसरंचना निर्माण कार्यो को गति प्रदान के लिए कृतसंल्कपित है। पश्चिम मध्य रेल में भी न्यू रेललाईन, दोहरीकरण एवं तिहरीकरण जैसे विभिन्न अधोसंरचना के निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने के निरंतर प्रयास जारी है। इसी कड़ी में अधोसरंचनात्मक रेल परियोजनाओं को महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय के सतत निगरानी में तेज गति के साथ किया जा रहा है। जिसके चलते नवनिर्मित थर्ड लाइन सेक्शन पथरिया से असलाना के मध्य कमीशनिंग के उद्देश्य से मध्य वृत (मुंबई) के रेल संरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा द्वारा 06 जनवरी को सघन निरीक्षण किया गया। नवनिर्मित थर्ड लाइन पथरिया से असलाना तक लगभग 14 किमी (13.818 किमी) के ट्रैक का रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पॉइंट एंड क्रॉसिंग, टंग रेल की हाउसिंग, ब्रिज लेआउट की ड्राइंग, गर्डर एवं ब्रिज और रेलवे मानक मापदण्ड पर आधारित स्पान का अवलोकन, ब्रिज के बेरिंग का निरीक्षण किया गया।

## बिना विकास अनुज्ञा मिले बनाई अवैध कॉलोनी, 26 भू-खंडों को बेचा

**बिल्डर के खिलाफ कुंडम पुलिस ने दर्ज की एफआईआर**

**नवभारत, जबलपुर।** कुंडम थाना अंतर्गत कुण्डेश्वर धाम में बिना विकास अनुज्ञा प्राप्त किए अवेध कॉलोनी बनाने के साथ आम नागरिको से धोखाधड़ी की गई। कुल 26 भू खण्डो को बेच दिया गया। मामले में पुलिस ने बिल्डिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक राजकुमार साहू पिता स्व. राम विशाल साहू निवासी बस स्टेन्ड मुख्य मार्ग कुण्डेश्वर धाम तहसील कुण्डेश्वर धाम के द्वारा कुण्डेश्वर धाम में कुल 26 भू खण्डो में बिना विकास अनुज्ञा प्राप्त किये भू खण्डो (भूमि) पर रोड नाली, पानी की टंकी, गार्डन का विकास कर अवैध कालोनी निर्माण किया जाकर विक्रय किया गया। विकास अनुमति प्राप्त नहीं किये जाने से शासन को विकास अनुज्ञा शुल्क, अतिरिक्त आश्रय शुल्क, कर्मकार मण्डल शुल्क की हानि हुई है। प्रावधान का उल्लघंन होकर लोगों के लिए भू- खण्ड, भवन उपलब्ध नही हो सके एवं राशि जमा न करने से शासन को आर्थिक हानि हुई है।

#### क्या है मामला

विदित हो कि कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर आम नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले सात कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये हैं। जानकारी के अनुसार गौरव शर्मा द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण कर 27 भूखंड का विक्रय किया गया है। इसी प्रकार आशीष कुमार पटेल ने पिपरिया बनियखेड़ा में 66 भूखंडों, मोहम्मद जिया उल हक द्वारा ग्राम खजरी में 30 भूखंडों, संतोष गुप्ता द्वारा पनागर में 17 भूखंडों, राजकुमार साहू द्वारा कुंडम में 26 भूखंडों, फूल सिंह द्वारा पिपरिया बनियखेड़ा में 80 भूखंडों, कुँवरलाल पटेल द्वारा पिपरिया बनियाखेड़ा में अवैध कॉलोनी का निर्माण कर 82 भूखंडों का विक्रय किया जा चुका है। राजकुमार के बाद अब अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

#### 98 अवैध कॉलोनियों हुई है चिन्हित

ग्रामीण क्षेत्र में 98 अवैध कोलनियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से तीन के खिलाफ पूर्व में ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित किये जा चुके हैं।

## एक टीआई लाइन अटैच, तीन थानों में फेरबदल

**नवभारत, जबलपुर।** पुलिस व्यवस्था में और कसावट लगाने पुलिस अधीक्षक ने तीन थानों में फेरबदल कर दिया है। मदनमहल थाना प्रभारी संगीता सिंह को लाइन अटैच किया गया है। जबकि हनुमानताल थाना प्रभारी धीरज कुमार राज को मदनमहल थाने की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा ग्वारीघाट थाना प्रभारी रहे सुभाषचंद्र बघेल को हनुमानताल थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लाइन से भेजे गए हरिकिशन को ग्वारीघाट थाना प्रभारी बनाया गया है। सूत्रों की माने तो अभी यह पहली लिस्ट है। कुछ और थानों में भी फेरबदल होना है। चौकी प्रभारियों को भी इधर से उधर किया जाना है।

## जानवरों की पानी टंकी में पेंट करते मिले कर्मचारी

**गरूड़ दल ने गोलू डेयरी का किया औचक निरीक्षण**

**नवभारत,जबलपुर।** जिला प्रशासन द्वारा गठित गरूड़ दल ने रांझी तहसील के कटियाघाट स्थित गोलू डेयरी का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम रांझी मोनिका बाघमारे के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण में डेयरी के कर्मचारी जानवरों के पानी की टंकी में रंगाई-पुताई करते पाए गए। गरूड़ दल की लगातार कार्रवाई के चलते डेयरी में साफ-सफाई भी देखी गई। तहसीलदार रांझी मौसमी केवट ने बताया कि मौके पर खाद्य लाइसेंस, विद्युत मीटर और अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए डेयरी मालिक को दो दिन का समय दिया गया। निरीक्षण में राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर निगम और खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

## लापता युवक का शव सातवें दिन नदी में मिला

**माढ़ोताल थाने में गुमशुदगी दर्ज, भेड़ाघाट में कायम हुआ मर्ग**

**नवभारत, जबलपुर।** माढ़ोताल थाना रिमझा निवासी एक युवक 31 दिसम्बर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं काई सुराग नहीं लगा जिसके बाद माढ़ोताल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सातवें दिन मंगलवार को भेड़ाघाट थाना अंतर्गत रिंग रोड निमार्णाधीन पुल नर्मदा नदी में लापता युवक का शव उतराता मिला। भेड़ाघाट पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक राजेश दीक्षित 53 वर्ष निवासी शांति नगर दमोहनाका ने सूचना दी कि उसके साढ़ू भाई का लडका देवाशीष नामदेव 33 वर्ष निवासी रिमझा जो बचपन से ही उसके सास सासुर के घर पर रहता था 31 दिसम्बर 25 की शाम 4 बजे बिना किसी को कुछ बताये कहीं चला गया। पुलिस ने सूचना पर गुमइंसान कायम कर मामले को जांच में लिया। वहीं भेड़ाघाट थाने में मंगलवार दोपहर में आलोक नामदेव 54 वर्ष निवासी टगर रोड लईया फैक्ट्री के पास कृष्णा कालोनी के सामने रिमझा ने सूचना दी कि 31 दिसम्बर को उसका भांजा देवाशीश नामदेव बिना बताये कहीं चला गया था। सुबह 11 बजे रिंग रोड निमार्णाधीन पुल नर्मदा नदी के पानी में ग्राम बंधा थाना भेडाघाट में भांजे का शव उतराते हुये मिला।

## ठंड का सितम : पारे में गिरावट, कांप रहा शहर

**नवभारत, जबलपुर।** ठंड का सितम जारी है। मंगलवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शहर शीतलहर की चपेट में रहा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। धूप खिली रही लेकिन ठंडी हवाएं चल रही थी। शाम को ठंड का असर बढ़ गया। मौसम विभाग की माने तो हवा की दिशा उत्तरी होने के कारण दोनों तापमान सामान्य से कम है। अभी दो तीन दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 87 और शाम को 57 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तर-पूर्वी हवाएं चार से पांच किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली।

नवभारत

आवश्यकता है

पद की योग्यता

देश के अनेक राज्यों से प्रकाशित नवभारत समाचार पत्र समूह के जबलपुर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।

**एकाउंटेंट**
(बी.कॉम.व टेली एवं 2 वर्ष का अनुभव )

**डीटीपी ऑपरेटर**
(5 वर्ष का अनुभव एवं कोरल ड्रा अनिवार्य)

**ऑफिस बाय**
(10 वीं पास एवं 5 वर्ष का अनुभव )

संपर्क करें

कार्यालय- नवभारत प्रेस, चौथापुल, महर्षि स्कूल के सामने, जबलपुर
(दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक )
9752721239, 8305852507
hr.navabharat1934@gmail.com

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57